Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 101-2026/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 30, 2026 (ASADHA 9, 1948 SAKA)

हरियाणा सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 जून, 2026

संख्या DRD/VBS/2026/2856.–विकसित भारत–रोजगार आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी–जी राम जी (विकसित भारत– जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का केन्द्रीय अधिनियम 36) की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, स्कीम के अधीन आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिन के मजदूरी–रोजगार की वैधानिक गारन्टी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित स्कीम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना।

1. (1) यह स्कीम विकसित भारत–रोजगार आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी–जी राम जी (विकसित भारत– जी राम जी) स्कीम हरियाणा, 2026 कही जा सकती है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

(3) यह हरियाणा राज्य के सभी अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होगी।

परिभाषाएं।

2. (1) इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, विकसित भारत–रोजगार आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी–जी राम जी (विकसित भारत– जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का केन्द्रीय अधिनियम 36);

(ख) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार।

(2) स्कीम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

गारन्टी, समय–सीमा और शर्तें।

3. (1) राज्य सरकार, राज्य में ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, में प्रत्येक उस परिवार, जिसके वयस्क सदस्य आवेदन करते हुए अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हों, को स्कीम के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ पच्चीस दिन का गारन्टीकृत रोजगार उपलब्ध करवाएगी।

(2) दैनिक मजदूरी का वितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी मामले में ऐसी तिथि, जिसको ऐसा कार्य किया गया था, के बाद पन्द्रह दिन के अपश्चात् किया जाएगा।

(3) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष कार्यात्मक छूट हेतु या समयबद्ध प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए अन्य असाधारण परिस्थितियों और प्रभावित परिवारों को सहायता की आवश्यकता के लिए अनुशंसा कर सकती है।

(4) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने स्कीम के अधीन दिया गया कार्य किया है, अधिनियम की धारा 10 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर पर मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा।

(5) यदि स्कीम के अधीन नियोजन के लिए आवेदक को रोजगार मांगने हेतु, उसके आवेदन की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर या किसी अग्रिम आवेदन के मामले में तिथि, जिसको रोजगार मांगा गया है, जो भी बाद में हो, से ऐसा रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, तो वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

विजयेन्द्र सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

Notification

The 30th June, 2026

No. DRD/VBS/2026/2856.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 3 of the *Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025 (Central Act 36 of 2025),* the Governor of Haryana hereby makes the following scheme for providing statutory guarantee of one hundred and twenty five days of wage employment in a financial year to every household in the rural areas covered under the Scheme, namely:-

Short title, commencement and application.

1. (1) This scheme may be called the Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin); VB-G RAM G (विकसित भारत–जी राम जी) scheme, Haryana, 2026.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

(3) It shall apply to all notified rural areas of the State of Haryana.

Definitions.

2. (1) In this scheme, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G (विकसित भारत–जी राम जी) Act, 2025 (Central Act, 36 of 2025);

(b) "State Government" means the government of the State of Haryana in the administrative department.

(2) Words and expressions used in the scheme, but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

Guarantees, time limits and conditions.

3. (1) The State Government shall, in such area in the State, as may be notified by the Central Government, provide to every household whose adult members, by application volunteer to do unskilled manual work not less than one hundred and twenty-five days of guaranteed employment in a financial year in accordance with the scheme.

(2) The disbursement of daily wages shall be made on a weekly basis or in any case not later than a fortnight after the date on which such work was done.

(3) The State Government may recommend to the Central Government, the need for special operational relaxations during natural calamities or other extraordinary circumstances for the purpose of ensuring timely response and support to affected households.

(4) Every person who has done the work given to him under the Scheme shall be entitled to receive wages at the wage rate notified by the Central Government as per section 10 of the Act.

(5) If an applicant for employment under the Scheme is not provided such employment within fifteen days of receipt of his application seeking employment or from the date on which the employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later, he shall be entitled to a daily unemployment allowance in accordance with the provisions of the Act.

VIJAYENDRA KUMAR,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Rural Development Department.

12711—C.S.—H.G.P., Pkl.